Naxalite violence or violence inspired by foreign agencies, a similar demand is being made by States including the States affected by Naxalite violence. The present Government is considering the matter and would like to take a decision not on an *ad hoc* basis. While it accepts that the problems which arise from issues of national security are a matter of concern and responsibility of the Centre, it would lay down precise guidelines as to what kind of security related expenditure can be borne by the States. Very soon, this matter would be discussed by the Cabinet and a decision would be taken.

प्रो॰ रामगोपाल यादव: श्रीमन्, जब नक्सलवादियों से यह आन्दोलन शुरू हुआ था और जिनका समाज में सम्मान भी था, केवल उनकी कार्यशैली में हिंसा ही निन्दनीय थी। लेकिन इसके बाद जैसे-जैसे ये बढ़ता गया तो लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम पर तमाम अपराधी संगठन भी कई राज्यों में अस्तित्व में आ गए जिन्होंने घटिया स्तर पर काम करने शुरू कर दिये। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अलावा जो और तरह के संगठन हैं, चाहे बिहार में हों, चाहे महाराष्ट्र में हों और चाहे आन्ध्र में हों क्या इनमें डिक्रिमिनेशन किया है? और किया है तो अन्य संगठन जिनको किसी हालत में लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं कहा जा सकता, उनके क्या-क्या नाम है?

श्री लाल कृष्ण आडवानी: सभापति जी, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है लेकिन यह भी सही है कि जब भी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो वह मामला लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित नहीं होता है। हम जिनको जम्मू-कश्मीर में मिलीटेन्सी कहते हैं, पंजाब में मिलीटेन्सी कहते हैं, जहां पर भी हिंसा का बोलबाला होता है वहां पर अनेक प्रकार के अपराधी तत्व इस प्रकार के आंदोलनों में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्वार्थशैली के लिए एक वातावरण मिल जाता है, एक रिस्पैक्टिबिलीटी मिल जाती है। सरकार और राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेतृत्व को इसके बारे में सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार इसके बारे में सावधान है, सतर्क है और अपराधी अपराधी है।

श्री लाल कृष्ण आडवानी: उसको कोई आवरण देने से उसके अपराध को कम नहीं माना जा सकता है। इसलिए हिंसा के मार्ग से जो कोई परिवर्तन करना चाहता है उसको हम अनुमति नहीं देंगे।

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up the next question... *(Interruptions)*

SHRI ADHIK SHIRODKAR: Sir, before we move on to the next question, I would request you to expunge the remarks made by Mr. Govindrao Adik...*(Interruptions)* It has no relevance to Naxalites...*(Interruptions)* The hon. Member has made a reference that somebody heads an institution which inducts notorious gangsters to come to power...*(Interruptions)* Is this the way he should talk? *(Interruptions)* This should be expunged... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: I will see the record.

महाराष्ट्र में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

***503. श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन कितनी योजनाएं काम कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान प्रत्येक योजना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में आदिवासी जिलों में कोई विशेष सुविधा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र के संदर्भ में इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री बाबागौड़ा): (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सहित सारे देश में निम्नलिखित ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है:—

(1) जवाहर रोजगार योजना

(2) सुनिश्चित रोजगार योजना

(3) दस लाख कुओं की योजना

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(5) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजना

(7) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति

(8) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और

(9) इंदिरा आवास योजना

(ख) और (ग) 1997-98 और 1998-99 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीजों के जिलावार ब्यौरे अनुबंध 1 से 4 में दिये गए हैं। **[देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र सं० 94]**

(घ) से (च) आदिवासी जिलों को कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। तथापि, जवाहर रोजगार योजना, दस लाख कुओं की योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, ट्राइसेम, डवाकरा और सिटरा के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अनुपात के आधार पर आबंटित की जाती है। राज्यों से आदिवासी जिलों सहित सभी जिलों को आबंटन सामान्यतया राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या की तुलना में जिले में ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: माननीय सभापति जी, 50 वर्ष हुए भारत आजाद हुआ और आजाद भारत में जो डाउन-ट्रोडन है, अनुसूचित जाति जन-जाति के लोग हैं उनके बारे में मैंने प्रश्न पूछा है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद हमने वेलफेयर स्टेट की कल्पना, कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी। इस कल्याणकारी राज्य में जो निचले स्तर के लोग हैं जो कुल 10 प्रतिशत लोग हैं, जो ट्राइबल कहे जाते हैं, उन पर भारत सरकार ने एक किताब लिखी है, एक किताब का प्रकाशन किया गया है। उस किताब का नाम है "ग्रामीण विकास की नई दिशा और गरीबी उपशमन"। इसमें कई बातें कही गई हैं, अज्ञान, अंधश्रध्दा, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, कम उत्पादकता, कम्यूनिकेशन का अभाव, अल्प बेरोजगारी ....

श्री सभापति: यह जो सवाल है इस का जो जवाब दिया गया है उस पर सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: वही पूछ रहा हूं।

यह जो कहा है इसकी स्कीम होते हुए भी 50 वर्ष बाद महाराष्ट्र में कई आदिवासी जिले ऐसे हैं जिनमें कुपोषण के कारण से, रोजगार के अभाव से, चिकित्सा के अभाव से, शिक्षा के अभाव से हर वर्ष बच्चों और महिलाओं की मृत्यु होती जा रही है। हमारे देश में उड़ीसा में जहां कालाहांडी जिला है। कालाहांडी में आज भी कुपोषण के कारण बच्चे और महिलायें मर जाती हैं। हाउस में भी इसके बारे में चर्चा हुई है। मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज तक जो कुछ भी प्रावधान किए गए हैं वे सही मात्रा में ट्राइबल्स को मिले या नहीं मिले, इसके बारे में क्या मंत्री महोदय खासतौर से एक कमीशन बिठायेंगे? जो प्रयोग थे, उसका जो कारोबार था वह ठीक ढंग से आदिवासियों के बीच इंप्लीमेंट हुआ या नहीं, इसको देखने के लिए क्या सरकार कमेटी बिठाने के बारे में विचार करेगी? दूसरा सवाल यह है कि ट्राइबल एरियाज़ में जहां कई समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए एकमात्र ब्यूरोक्रेसी या सरकार की यंत्रणा काफी नहीं है। एन०जी०ओज़० जिनको स्वयं सेवी संस्थाएं कहते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में उनका नाम-मात्र पार्टीसिपेशन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इसे उभारने के लिए इस क्षेत्र में एन०जी०ओज़० की सहायता लेने के बारे में क्या आप नये ढंग से विचार करेंगे?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: So far as the first question is concerned, we honour the suggestion of the hon. Member. So far as the second question is concerned, we are taking the help of NGOs already. We are having so many schemes under these programmes in Maharashtra, Sir.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: माननीय सभापति जी, उत्तर में ऐसा कहा है कि आदिवासी जिलों को कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। यह उत्तर में कहा गया है। मेरा प्रश्न यह है कि हर वर्ष कितनी मौतें होती हैं, उनके कई कारण हैं तो भी विशेष सुविधा का

प्रावधान करने के बारे में मैंने पूछा है और मंत्री जी ने साफ तौर पर अपने उत्तर में कहा है कि ऐसा कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बारे में सरकार को फिर से सोचने के जरूरत है। यह मेरा कहना है। इसमें जो फिगर्ज़ दी गई हैं अनुसूचित जातियों के बारे में वह कुल मिला कर के फिगर्ज़ दी गई हैं कि 1997-98 में 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लेकिन खास कर के हर वर्ष जितने लोगों की मृत्यु होती है, कुपोषण आदि कारणों से मृत्यु हो जाती है, इसका लाभ उनको मिलना चाहिये और इसके बारे में कोई अलग से प्रावधान रख कर अलग सुविधा देने के लिए, नये सिरे से विचार करने के लिए आपने कोई कमेटी बैठाने के लिए भी कहा है, इसके बारे में कहिये।

SHRI BABAGOUNDA PATIL: While identifying BPL families under all these programmes, fifty per cent of the beneficiaries should be SC/STs. There is a guidelines for that. While allocating funds also, added weightage is given to SC/ST population. There is no need to have a separate scheme for that.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, poverty alleviation programmes are being taken up at the national level. Now there seems to be a radical policy on the part of the Government to assess the people living below the poverty line. They are taking into consideration food calorie consumption only. That will be the absolute poverty that they are taking into consideration. My request is that other basic needs of human beings also should be taken into consideration while assessing people living below the poverty line. This has got a very adverse impact on the States. I would like to know from the Minister whether such a consideration will be given while assessing people living below the poverty line.

SHRI BABAGOUNDA PATIL: Poverty identification exercise is done by the Planning Commission.

MR. CHAIRMAN: This question does not arise out of it.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, various schemes have been taken up for poverty alleviation and the Government is spending crores of rupees on them. What is the arrangement that has been made by the Government of India to monitor the implementation of these programmes at the ground level? Most of the money is being misused or diverted and it doesn't reach affected people. So, what is the arrangement for monitoring the implementation of these programmes? Crores of rupees are being spent by the Government of India. There have been complaints that many States Governments are not using the money for those purposes for which they are meant and they are diverting the funds. Will the hon. Minister consider involvement of Members of Parliament in their constituencies for overseeing implementation of these programmes at the State level?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: Sir, these programmes are implemented by the State Governments. We also monitor these programmes through periodical progressive reports, financial returns, reivew by various committees, like State Level Co-ordination Committee...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Which doesn't meet!

SHRI BABAGOUNDA PATIL: We are doing it, Sir. Some intensive field visits are also undertaken. There is a separate monitoring scheme, like Area Officer Scheme. There are meetings of State Secretaries and Project Directors of DRDAs, Standing Committee and Consultative Committee of the Department. Sir, concurrent evaluation of programmes of the Ministry is done through independent institutions also.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: What about the involvement of MPs in these programmes?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: Sir, we are having DRDAs. We have written to all DRDAs to nominate MPs and MLAs for monitoring these programmes.

श्री संजय निरूपम: सर, जो मिलियन वेल स्कीम, 10 लाख कुओं की जो योजना है केन्द्र सरकार की उसके संदर्भ में मेरा प्रश्न है। राज्य सरकारों को कुएं गांवों में खोदने के लिए पैसे मिलते हैं और कोशिश यह की जाती है या उस योजना में जो अंडरलाइन किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो अभावग्रस्त और जो उपेक्षित गांव हैं उनमें कुएं खोदे जाएं, ऐसी मान्यता है। मगर देखा यह गया है कि गांव के कुछ ताकतवर लोग, ताकतवर राजनीतिज्ञ लोग अपने फालोअर्स को अपने लोगों को कुएं दिलवा देते हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो गांव उपेक्षित है, अभावग्रस्त हैं उन गांवों में कुएं नहीं खोदे जा रहे हैं। ऐसा मैंने अपनी आंखों से कई जगह देखा है। तो मेरा प्रश्न बेसिकली यह है कि कुओं के वितरण में जो हेराफेरी हो रही है और जो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है क्या उसकी मानीटरिंग यहां से होती है? नम्बर एक।

दूसरा, मेरा कहना यह है कि कुओं के वितरण में अक्सर आर्थिक हेराफेरी भी होती है। महाराष्ट्र में इस दशक के पूर्वार्ध में एक बहुत बड़ा कुओं का घोटाला हुआ था जिसमें बहुत सारे कुएं खोदे गए थे लेकिन ये सारे कुएं कागज में खोदे गए थे। मुझे नहीं पता कि केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है कि नहीं या उसकी कोई छानबीन हुई है कि नहीं। तो पहला मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई कुएं खोदे जा रहे हैं कि नहीं और जो कुएं खोदे जा रहे हैं वे सही जगह खोदे जा रहे हैं कि नहीं?

इसका दूसरा पार्ट यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में जो वाटर लेविल होता है वह अलग-अलग होता है। एक कुआं खोदने के लिए एक पार्टिक्युलर अमाउंट आप अलाट करते हैं। लेकिन एक गांव में जितनी खुदाई होनी चाहिए और जितनी खुदाई पर पानी मिलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे गांव में भी उतनी ही खुदाई तक पानी मिल जाए। तो कई बार ज्यादा गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं। उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि अलग-अलग क्षेत्रों के वाटर लेविल को देखते हुए कुओं की खुदाई के लिए जो रकम दी जाए वह अलग-अलग दी जाए?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: Sir, the hon. Member has levelled some specific allegations. We will consider them. As far as the second part of his supplementary is concerned, I would like to say that if the beneficiaries want more money, we provide the same to them. Sir, advice of geologists is also taken while finding localities.

MR. CHAIRMAN: Shri Yoginder K. Alagh.

श्री संजय निरूपम: आप जो प्रत्येक कुएं के लिए देते हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He has said that advice of geologists is taken while finding localities. That is all right.

श्री संजय निरूपम: मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि हर कुएं पर एक ही रकम अलाट होती है...(व्यवधान)

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to ask the Minister whether it is true that according to studies based on the National Sample Survey, the percentage of population below the poverty line, which was falling from mid-seventies till late-eighties, this trend is not there in the nineties, and that because of a lower growth of non-agricultural employment in rural areas, the shift of the labour force from agriculture to non-agriculture which had taken place between midseventies and late-eighties has stopped in the nineties. I want to know whether these trends are more pronounced in western India, particularly in the States of Gujarat and Maharashtra. If these facts are correct, what does the Minister propose to do about it?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: Sir, for agricultural activities, we are having the Million Wells Scheme. If the hon. Member suggests something for strenghening it, we will consider it.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: Would the Minister agree to get it examined? Sir, it is a very serious question. He has not given any reply. At least, the Minister can give an assurance that these facts would be examined and that what I am saying is right and that something will be done for western India.

SHRI BABAGOUNDA PATIL: Yes, Sir.

SHRI O. RAJAGOPAL: I would like to know from the hon. Minister whether the amount given by the Central Government is being spent by the Government machinery in association with the people's representatives at the local level. Many of the schemes were drawn up before the Panchayat system was fully implemented. Now these bodies have come into being. Does the Government have a scheme by which people's representatives at the lowevr level are fully involved in the implementation in order to avoid misuse?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: there is no such scheme to involve them.

SHRI O. RAJAGOPAL: Will you consider this?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: Yes, Sir. We will consider.

Policy on Closed Textile Mills

*504. DR. JAGANNATH MISRA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the details of the textile mills in the country which have been closed down during the last three years after the decision of BIFR alongwith the dates of their closure;

(b) the number of the labourers rendered jobless as a result of the closure of such mills;

(c) the measures taken to provide relief and rehabilitation to them and for the modernisation of each such mill; and

(d) the policy regarding setting up of such mills, production therefrom and for labour welfare?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) 38 sick textile companies were recommended for winding up by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) to the concerned High Court under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 during the last three years from 1.4.95 to 31.3.98. These include 5 State Public Sector Undertakings and 33 private companies. 62286 workers were reportedly employed in these companies at the time of their registration with BIFR.

(c) and (d): The Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme (TWRFS) of Government is in operation to protect the interests of workers rendered jobless due to permanent closure of textile units/mills or entire divisions thereof. Since its inception, benefits under the Scheme have been extended to the mills in the private sector only. Relief is also available to workers of closed undertakings under the Industrial Disputes Act, 1947.

Assistance from the National Renewal Fund is available for Voluntary Retirement Scheme in Central Public Sector enterprises and for schemes for counselling, retraining and redeployment of rationalised workers.

The Government has set up the BIFR to inquire into the working of sick industrial companies and to prepare and sanction, as appropriate, schemes for revival of such mills. The rehabilitation schemes sanctioned by BIFR include various measures like restructuring the capital, induction of fresh funds by the promoters, merger with the other companies, change of management, provisions for working capital and term loans by banks and financial institutions. Relief and concessions by State and Central Government in the form of reschedulement of their dues, grants from NRF. Wherever, restructuring of the workforce also forms part of the scheme, provision for VRS is also made in the scheme.

श्री जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, हमारे प्रश्न को और उत्तर को आप देखेंगे तो इसमें कुछ तालमेल नहीं है। हमारा प्रश्न स्पष्ट था कि कितने मिल बंद कर दिए गए और उससे कितने लोग बेरोज़गार हुए। इन्होंने तो